



No 0453

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(एक्ट 21, 1860)


संख्या 148

वर्ष 19 87 19 88

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

रुवाजा शहीद हुसैन

रजिस्ट्रेशन सोसाइटी



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख सोमवार मास जुलाई वर्ष उन्नीस सौ अठ्ठासीको पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

Assistant Inspector General  
of Registration  
Bihar, Patna  
for I. G. Registration  
Bihar, Patna




27/1/90

संख्या:-

५५८

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र  
कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना



रुक्मिणी शाहीदु डुलैन  
रुक्मिणी शाहीदु डुलैन  
पटना, दिनांक:- १५/६/१९८६

के सम्बन्ध में ।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाईटोज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,

21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार आज यथावत् दाखिल/निबन्धन/अभिलिखित किया गया/किये

गये ।

फोट का ज्ञाप 50/- । पच्चास । समय केवल ।

संस्था का स्मृतिपत्र, नियमावली एवं प्रस्ताव, बिहार अध्यापक प्रशासन प्रास्तावक ।

of Registration  
Bihar, Patna

वास्ते महानिरीक्षक, Registration, बिहार, पटना  
Bihar, Patna

सेवा में,

श्री नमुद्दीन शहीदी, जेनरल सेक्रेटरी

20वां भाग, श्री श्रीक. दुर्गा, लुक्कमणल बाजार

स्थान-गिरवा, पो-बख्खा, थाना-कुरवा, जिला-करिखर

का सेवा में उनके पत्र संख्या:- मुन्ध दिनांक:- 2 पी 14/6

के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबन्धन प्रमाण पत्र संलग्न है । प्राप्ति को सूचना दें ।

Assistant Inspector General  
of Registration  
Bihar, Patna

वास्ते, महानिरीक्षक, Registration, बिहार, पटना ।  
Bihar, Patna

निबन्धन विभाग

निर्दिष्ट ।

पत्रांक-10/व3-165/87मा0-465/  
बिहार सरकार,  
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग ।

प्रेम्क,

श्री एस0एन0 सहाय,  
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सेवा में,

✓ सचिव,  
अराजकीय खवाजा शाहिद हुसैन प्राइमरी  
टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज निरुता, कटिहार ।

पटना, दिनांक-28-9-94

विषय- सी0डी0जे0सी0न0-5391/94 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित  
आदेश के आलोक में अराजकीय खवाजा शाहिद हुसैन प्राइमरी टीचर्स  
ट्रेनिंग कॉलेज, निरुता, कटिहार की प्रस्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि अराजकीय खवाजा शाहिद हुसैन  
प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, निरुता, कटिहार को विभागीय अधिसूचना संख्या-  
1107 दिनांक 25-11-87 के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने की कृपा  
राज्य सरकार द्वारा की गयी है ।

2- सर्वोच्च न्यायालय के स्टीफेन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय  
के मामले में हुये नियमन के अनुसार महाविद्यालय द्वारा 50 प्रतिशत सीटों पर

नामांकन के लिये महा विद्यालय अपने विवेकानुसार अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण कर  
लगेगा ।

विश्वासभाजन

~~27.9.74~~

रतोरनो तदाय ।

सरकार के अपर सचिव, विहार ।  
27/9